Comp. 597/2011

FORM A

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम, शेरघाटी, जिला –गया जी।	
उपस्थित– राजेश कुमार सिंह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी– प्रथम, शेरघाटी, गया जी	
[निर्णय तिथि–18.06.2026]	
परिवाद वाद संख्या – 597/2011	
विचारण सं0 – 829/2026	
अभियोगी	श्रीमती विमला देवी
अभियोगी के अधिवक्ता	श्री संजय कुमार सिंह
अभियुक्तगण	1. सुनील प्रसाद पिता सियावर प्रसाद उम्र 39 वर्ष 2. सियावर प्रसाद पिता स्व0 विशुनधारी महतो उम्र 69 वर्ष 3. लालती देवी पति सियावर प्रसाद उम्र 64 वर्ष 4. अनिल प्रसाद पिता सियावर प्रसाद उम्र 44 वर्ष 5. सुनीता देवी पति अनिल प्रसाद उम्र 39 वर्ष
अधिवक्ता	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव

R.K.Singh 18/06/2026

FORM B

घटना की तिथि	11.11.2011
संज्ञान की तिथि	17.02.2012
आरोप पूर्व साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	06.10.2012
आरोप गठन की तिथि	04.01.2014
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	13.01.2014
निर्णय हेतु सुरक्षित रखने की तिथि	11.06.2026
निर्णय की तिथि	18.06.2026
सजा की तिथि, यदि कोई हो	18.06.2026

Accused Details:

अभियुक्त का कम संख्या	अभियुक्त का नाम	अभियुक्त की गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त/दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के प्रयोजन हेतु निरोध की अवधि
1.	सुनील प्रसाद	––	15.05.2012	498क	दोषसिद्ध	2 वर्ष	––
2.	सियावर प्रसाद	––	15.05.2012	498क	दोषमुक्त	शून्य	शून्य
3.	लालती देवी	––	15.05.2012	498क	दोषमुक्त	शून्य	शून्य
4.	अनिल प्रसाद	––	15.05.2012	498क	दोषमुक्त	शून्य	शून्य
5.	सुनीता देवी	––	15.05.2012	498क	दोषमुक्त	शून्य	शून्य

JUDGE (SR.DIV) I CUM ACJM-I Sherghati, Gaya

FORM C

अभियोजन/बचाव पक्ष एवं न्यायालय साक्षियों की सूची

A. अभियोगी

कम सं0	नाम	साक्षी की प्रकृति
अ0सा0 1	लक्ष्मण प्रसाद	Contested
अ0सा0 2	महेन्द्र प्रसाद	Contested
अ0सा0 3	मालती देवी	Contested
अ0सा0 4	छटू भुईया	Contested
अ0सा0 5	विमला देवी	Contested

B. बचाव पक्ष

कम सं0	नाम	साक्षी की प्रकृति
प्रति0 सा01	-	-

निर्णय

1. उपर्युक्त अभियुक्तगण धारा 498क/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में आरोपित है। उपर्यक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया तथा आरोपों को अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तों ने दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

R.K.Singh
18/06/2016

2. अभियोजन घटना का सारांश यह है कि अभियोगिनी विमला देवी की शादी दिनांक– 15.05.2007 को अभियुक्त सुनील प्रसाद से हिन्दू रीति रिवाज से हुई तथा विवाह के समय विमला देवी के पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक लाख रुपया तथा अन्य समान दिया लेकिन विवाह के बाद विमला देवी के ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगा तथा हिरो–होण्डा मोटरसाइकिल की मांग करने लगे तब विमला देवी के पिता ने 20 हजार रुपये अभियुक्त सुनील को दिया जिसे सुनील ने बैंक मे फिक्स डिपॉजिट कर लिया। कुछ दिनों के बाद पुनः दहेज की मांग को लेकर अभियोगिनी के साथ मारपीट किया जाने लगा, तब सूचना पाकर उसके मायके वाले उसे अपने साथ मायके मे ले गए। पंचायती भी हुई नहीं मानने पर न्यायालय मे केस किया।

3. अभियोगिनी के लिखित परिवाद पत्र पर उपर्युक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 498क/34 भा0द0वि0 अन्तर्गत विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शेरघाटी के द्वारा संज्ञान लिया गया। विभिन्न न्यायालयों से अन्तरित होते हुए अन्ततः निस्तारण हेतु यह पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. अभियुक्त का बयान धारा 313 द0प्र0सं0 के प्रावधान के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष बताया है। निर्दोषिता तथा मिथ्या आरोप ही प्रतिरक्षापक्ष का बचाव है।

5. अब इस वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोपों का सभी युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने मे सफल रहे हैं?

CIVIL JUDGE (SR. DIV.) I CUM ACJM-I
Sherghati, Gaya

मन्तव्य

6. इस वाद मे अभियोगी के तरफ से कुल पॉच साक्षियों का क्रमशः अ0सा0–1 लक्ष्मण प्रसाद, अ0सा0–2 महेन्द्र प्रसाद, अ0सा0–3 मालती देवी, अ0सा0 4 छठु भुइया एवं अ0सा0–5 विमला देवी स्वयं अभियोगिनी एवं आहत को परीक्षित कराया गया है। इस वाद मे प्रतिपरीक्षण पक्ष की तरफ से किसी प्रकार का मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. अ0सा0–01 लक्ष्मण प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षण मे अभिकथित किया है कि केस की मुद्दई इनकी बेटी है तथा मुदालय सुनील प्रसाद दामाद एवं अन्य अभियुक्तगण इनके दामाद के परिवार के सदस्य हैं। बेटी की शादी 2007 मे सुनील के साथ किए थे। बेटी ससुराल गई तथा 2 महीने बाद मोटरसाइकिल की मॉग को लेकर सुनील एवं उसके परिवार के लोग बेटी के साथ मारपीट करने लगे। चार महीना बाद इन्होंने बीस हजार रुपये दिया जिसे ग्रामीण बैंक में एफ.डी. किया गया। पंचायती भी हुई लेकिन उसके बाद भी तीस हजार रुपये की और डिमाण्ड किये तथा नहीं देने पर बेटी के साथ गाली–गलौज व मारपीट करने लगे। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त सुनील प्रसाद की पहचान की तथा अन्य को पहचानने का दावा किया है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण मे यह कथन किया है कि इन्हें तीन बेटियां कान्ति, विमला एव सुनीता है। सुनील इनके घर एक बार भी नहीं गया बेटी का एक महीना ईलाज चला था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण पक्ष के सुझाव प्रश्न से इंकार किया कि इनकी बेटी कभी ससुराल में रही ही नहीं तथा बार–बार ससुराल से भाग जाती थी तथा कोई घटना नहीं हुई थी। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण पक्ष के इस सुझाव प्रश्न से भी इंकार किया कि बेटी से झूठा मुकदमा करवाया है।

8. अभि0सा0सं0–5 विमला देवी जो स्वयं इस वाद की अभियोगी एवं पीडिता है, ने अपने मुख्य परीक्षण मे अभिकथित किया है कि इनकी शादी 12.05.2007 को सुनील के साथ हुई थी। शादी के बाद ये सुनील के घर गयी वहां इन्हें एक साल तक अच्छे से रखा। उसके बाद हिरो–होण्डा मोटरसाइकिल बतौर दहेज की मांग इनके पिता से की जाने लगी। इनके पिता ने पंचायती करवाया, लेकिन उसके बाद भी इनके साथ गाली–गलौज, मारपीट करते रहे। 4 महीने बाद इनके पिता ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिये 20 हजार रूपये दिया, फिर भी मारपीट करते रहे तथा ईलाज भी नहीं करवाया तब अभियोगिनी अपने पिता व भाई को बुलाकर मायके चली गयी। 6 महीने बाद फिर ये ससुराल गयी तो वहां पुनः दहेज को लेकर मारपीट करने लगे। तब ये अपने मायके इमामगंज आ गयी तथा केस किया। साक्षी ने परिवाद पत्र पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है जिसे प्रदर्श–1 अंकित किया गया।

R.K.Singh
18/06/2016

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि इनके पति को कितना धन दौलत व जमीन है नहीं जानती। पहली बार छह महीना साल भर ससुराल मे रही थी। 3 महीना बाद ससुराल मे पंचायती हुई थी। बॉके बाजार सरकारी में इलाज करवाया था तथा मारपीट मे खून गिरा था। गर्भवती थी इसीलिये भाई के साथ ससुराल से ईलाज कराने गयी थी। कंडिका– 28 मे कहती है कि कोर्ट के आदेश से सुनील कुमार 29.08.2012 को ले गये थे। 20 हजार का एफ.डी. सुनील कुमार के नाम से ग्रामीण बैंक में है। कंडिका–29 में कहती है कि घर से भागी नहीं थी बल्कि ईलाज कराने के लिए गई थी। साक्षी ने सुनील के आवेदन कि वह घर से भागी थी से इंकार किया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण पक्ष के इस सुझाव प्रश्न से भी इंकार किया कि ईलाज कराने का झूठा बहाना बनाकर सुनिल से पैसा लेने के लिये मारपीट का झूठा केस किया है। । पचायती के सम्बंध मे कोई लिखित कागज नही बना था। कंडिका–45 मे कहती है कि इन्होने सुनील कुमार पर दूसरी शादी करने का केस परिवाद सं0 109/2015 किया है जिसमे इनका शपथ पर बयान हो चुका है। साक्षी ने आगे कथन किया हे कि 07.06.213 को इन्हे एक बच्ची भी आमस अस्पताल मे पैदा हुयी थी। इस साक्षी ने प्रतिरक्षापक्ष के सुझाव प्रश्न से इंकार किया कि ये कभी ससुराल मे रही ही नही तथा बार बार ससुराल से भाग जाती थी तथा बच्ची सुनील से पैदा नही हुई । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण पक्ष के इस सुझाव प्रश्न से भी इंकार किया कि झूठा मुकदमा किया है।

CIVIL JUDGE (JR. DIV.) I CUM ACJM-I Sherghati, Gaya

9. अभि0सा0सं0–2 महेन्द्र प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षण मे अभिकथित किया है कि बिमला इनकी बहन है। उसने अपने पति सुनील प्रसाद, ससुर सियावर, सास लालती देवी, भैसुर अनिल प्रसाद तथा गोतनी सुनीता देवी पर केस किया है। बहन की शादी 4 साल पहले हुयी थी । पिताजी ने सर सामान व जेवर दिया था। शादी के बाद वह ससुराल गयी वहा गाली गलौज तथा मारपीट करके ससुराल से निकाल दिया। इनकी बहन को एक बच्ची भी हुयी । पंचायती भी हुआ लेकिन कोई असर नही हुआ। न्यायालय के आदेश पर बहन ससुराल गयी थी लेकिन डेढ दो महीना बाद ईलाज कराने के लिये चली आयी। इस बात की इन्हे जानकारी नही है कि बहन के ससुराल चे चले आने के बाद सुनील ने केस लिखवाया था। इनकी बहन का एक बार अन्द्रासाउण्ड हुआ थां। इस साक्षी ने न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त सुनील की पहचान की है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा मे अभिकथित किया है कि सुनील के नाम से ग्रामीण बैंक मे फिक्स्ड डिपाजिट हुआ था उसका खाता नम्बर नही मालूम। 3–4 बार पंचयती हुआ था। इस साक्षी ने प्रतिरक्षापक्ष के सुझाव प्रश्न से इंकार किया कि इनके पिता ने प्रताणना का झूठा केस करवाकर नाजायज रकम येठते है तथा झूठी गवाही दे रहा हूं।

अ0सा0सं0 – 3 मालती देवी ने अपने मुख्य परीक्षण मे अभिकथित किया है कि विमला की शादी सुनील प्रसाद से की थी। घटना सास–ससुर सब किए हैं। रात को मारपीट किये तथा सुबह भगाये। 50 हजार मांगे थे। 20 हजार दिये थे मोटरसाइकिल खरीदने के लिये। 30 हजार और मांगे तथा शादी ब्याह का सब सामान रख लिये और घर से निकाल दिये। बच्ची मायके चली आयी। कोर्ट के आदेश पर ससुराल गयी थी। इस साक्षी ने न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त सुनील की पहचान की है।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा में अभिकथित किया है कि बेटी को छोडे 5–6 साल हो गया। इस साक्षी ने प्रतिरक्षापक्ष के सुझाव प्रश्न से इंकार किया कि इनके पति के बुलाने पर इनकी बेटी सुनिल को बिना बताये बस स्टैण्ड पर चली आयी।

अ0सा0 सं0 4 छदू भुइया ने अपने मुख्य परीक्षण मे अभिकथित किया है कि बिमला ओर सुनील प्रसाद को जानते है। बिमला अभी नैहर मे रह रही है। खर्चा उसके मॉ बाप करते हे।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा मे अभिकथित किया है कि लक्ष्मण के घर से इनका घर सटा है। कभी कभी मिलना होता है। बिमला का पति लाने जाता है पुनः कहते है कि वह अपने पिता के बहकावे मे है वो आता कैसे।

R.K.Singh
18/06/2016

10. प्रतिरक्षापक्ष के विद्वान अधिवक्ता अपने तर्कपूर्ण बहस के कम मे यह तर्क देते है कि अभियुक्त ने सूचिका को घर से निकाला नही था बल्कि वह स्वयं चली गयी थी। उसका कोई ईलाज नही हुआ था केवल ईलाज का बहाना कर रही है। इनका यह भी तर्क है कि अभियोगी साक्षियों के साक्ष्य मे काफी विरोधाभाष है। लेकिन प्रतिरक्षा द्वारा अपने तर्का के समर्थन मे एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। जबकि स्वयं सूचिका एवं आहत ने यह कथन किया है कि कि कोर्ट के आदेश से सुनील कुमार 29.08.2012 को ले गये थे लेकिन उसके बावजूद 19.10.12 को रात को मारपीट कर घर से भगा दिया।

परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य मे निश्चित रुप से छोटे–मोटे विरोधाभाष हो सकते हैं किन्तु छोटे–मोटे विरोधाभाष के आधार पर अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य पर न्यायालय अविश्वास नहीं कर सकती क्योंकि साक्षियों के साक्ष्य मे छोटे–मोटे विरोधाभाष आना अत्यंत स्वाभाविक है और यह अभियोजन के वाद को ही सम्पुष्ट करता है।

11. अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 498क भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है।

CIVIL JUDGE (SR. DIV) I CUM ACJM-I Sherghati, Gaya

धारा 498क के अनुसार,

जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति कूरता करेगा, वह कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण — के अनुसार

इस धारा के प्रयोजन के लिए ''कुरता'' से अभिप्रेत हैः—

(क.) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन ,अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भवना हैः या

(ख). किसी स्त्री को इस दृश्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मुल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताडित किया जाये या किसी स्त्री को इस कारण से तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने मे असफल रहा है।

इस वाद मे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यो के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस वाद मे परीक्षित सभी साक्षियों ने इस तथ्य का समर्थन किया है कि अभियुक्त ने अभियेगिनी विमला के पिता से से 50 हजार रूपया मोटर साइकिल खरीदने के लिए मागे थे तथा 20 हजार दिया भी गया जो सुनील प्रसाद के नाम से फिक्स्ड किया गया एवं इस तथ्या से अभियुक्त ने इंकार भी नही किया है। इसके बाद भी उसे मारपीट कर घर से निकाल दिये तथा इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अभियोगिनी/पीड़िता को मानसिक और शारीरिक क्षति कारित की गयी है। और अतः इस धारा के अन्तर्गत अपराध के आरोपों को अभियुक्त सुनील प्रसाद के विरूद्व सभी संदेहों से परे साबित करने मे अभियोजन सफल रहा है।

12. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के विवेचनोपरान्त इस न्यायालय का यह अभिमत है कि इस वाद मे परीक्षित किसी भी साक्षी ने सुनील के अलावे इस वाद के अन्य अभियुक्तो के विरूद्व कोई विशिष्ट आरोप या साक्ष्य नही दिया है। अतः अभियोजनपक्ष, अभियुक्तगण कमशः सियावर प्रसाद , लालती देवी, अनिल प्रसाद व सुनीता देवी के विरूद्ध धारा 498क भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोपित आरोपों को सभी युक्ति—युक्त संदेहो से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है तथा अभियुक्त सुनील प्रसाद के विरूद्व धारा 498क भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोपित आरोपों को सभी युक्ति—युक्त संदेहो से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहे है। अतः

आदेश

इस वाद के अभियुक्तगण कमशः सियावर प्रसाद , लालती देवी, अनिल प्रसाद व सुनीता देवी को साक्ष्य के अभाव मे दोषी न पाकर धारा 498क भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध क़े आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है।

परन्तु अभियोजनपक्ष, अभियुक्त सुनील प्रसाद के विरूद्व धारा 498क भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोपित आरोपों को सभी युक्ति—युक्त संदेहो से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहे है। अतः अभियुक्त सुनील प्रसाद , को धारा 498क भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाता है। उपर्युक्त अभियुक्तगण जमानत पर है अतः इनका जमानत बन्ध—पत्र निरस्त किया जाता है तथा इनके जमानतदारों को जमानत बन्ध—पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

R.K.Singh

(राजेश कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम
शेरघाटी, गया।
दिनांकः 18.06.2026

CIVIL JUDGE (SR.DIV) I CUM ACJM-I Sherghati, Gaya

पीठ लीपिक सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु वाद अभिलेख थोड़ी देर के पश्चात् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

बाद में
18.06.2026

13. सजा के बिन्दु पर दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पदाधिकारी को सुना। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते है कि अभियुक्त काफी लम्बे समय लगभग सात वर्षो से विचारण में भाग ले रहे है और परिवारिक व्यक्ति है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है और ये अपराधिक प्रवृति के नही है अभियुक्त दुबारा ऐसी गलती नही करेंगे। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए अभियुक्त को न्यायहित में कारावास का दण्ड न देकर प्रोबेशन का लाभ देते हुए मुक्त किया जाये। अभियोजन पदाधिकारी इसका विरोध करते है। सुना।

उभयपक्षों के तर्को को सुना। वाद अभिलेख का परिशीलन किया। अभिलेख के परिशीलन से स्पश्ट है कि अभियुक्त द्वारा धारा 498क भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध गम्भीर प्रकृति का हाने के कारण जो एक महिला के विरूद्ध किया गया है तथा समाज मे अपराध की बढ़ती हुई घटनाओं को ध्यान मे रखते हुए निम्न दण्डादेश पारित किया जाता है।

14. अभियुक्त सुनील प्रसाद को धारा 498क भा0द0वि0 के अन्तर्गत दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नही करने पर अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दी जाती है। परन्तु उपर्युक्त धारा अन्तर्गत अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के एवज मे दी गई अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा मूल सजा के बाद चलेंगी। अभियुक्त द्वारा वाद विचारण के क्रम मे कारा मे बिताई गई अवधि को अधिरोपित कारावास की अवधि से धारा 428 द0प्र0स0 के प्रावधान के अन्तर्गत मुजरा करने का आदेश दिया जाता है।

R.K.Singh

(राजेश कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम
शेरघाटी, गया
दिनांकः 18.06.2026

CIVIL JUDGE (SR.DIV) I CUM ACJM-I Sherghati, Gaya

यह निर्णय मेरे द्वारा टंकित, शुद्धिकृत, हस्ताक्षरति, एवं दिनांकित है जिसे आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

R.K.Singh

(राजेश कुमार सिंह)
अपर मुख्यन्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम
शेरघाटी, गया
दिनांकः 18.06.2026

CIVIL JUDGE (SR.DIV) I CUM ACJM-I Sherghati, Gaya